

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या—3/कृ0 बजट—आवंटन—15/2015—174 (भाग्यत) कृ0, पटना, दिनांक 08-01-2016
प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हार्टिकल्वर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्वर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ॲन सेरीकल्वर के अधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रुपये को पुनरीक्षित करते हुए कुल 683.392 करोड़ रुपये (छ: अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रुपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन सामान्य वर्ग के लिए वर्ष 2015-16 में तत्काल 4324.47 लाख रुपये (तेतालीस करोड़ चौबीस लाख सैंतालीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹43,24,47,000 (तेतालीस करोड़ चौबीस लाख सैंतालीस हजार रुपये) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या—107 दिनांक—07.01.2016 द्वारा किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हार्टिकल्वर रिसर्च सेन्टर इन्टीग्रेटेड यूनिट ऑफ एग्रीकल्वर, लाइवस्टॉक तथा फिशरीज एवं एडवांस सेन्टर ॲन सेरीकल्वर के अधारभूत संरचना के लिए पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत 562.50 करोड़ रुपये को पुनरीक्षित करते हुए कुल 683.392 करोड़ रुपये (छ: अरब तेरासी करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रुपये) परियोजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन सामान्य वर्ग के लिए वर्ष 2015-16 में तत्काल 4324.47 लाख रुपये (तेतालीस करोड़ चौबीस लाख सैंतालीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु ₹43,24,47,000 (तेतालीस करोड़ चौबीस लाख सैंतालीस हजार रुपये) की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹43,24,47,000 (तेतालीस करोड़ चौबीस लाख सैंतालीस हजार रुपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष—2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—उप मुख्यशीर्ष—01—फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष—277—शिक्षा, मांग सं0—1—उप शीर्ष—0108—बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, विपत्र कोड—P2415012770108, के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष—3105—सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि ₹86,63,12,000 (छियासी करोड़ तिरसठ लाख बारह हजार रुपये) मात्र में से ₹43,24,47,000 (तेतालीस करोड़ चौबीस लाख सैंतालीस हजार रुपये) मात्र विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक—2561 वि0 (2) दिनांक—17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रभु राम)



निदेशक (प्रशासन)—सह—अपर सचिव।

ज्ञापांक

१७४ (भोगंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक ०८-०१- 2016

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक

१७४ (भोगंटन)

मुक्ति
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।
/कृ०, पटना, दिनांक ०४-०१- 2016

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियन्त्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर /वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शाष्य) शिक्षा-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शाष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

मुक्ति
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।
मुक्ति